

न्यायालय:—मधुसूदन जंघेल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप. प्रक. क.-397 / 2012
संस्थित दिनांक—04.05.2012
फा.नंबर—234503000912012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — —अभियोजन

// विरुद्ध //

- 1.लिक्खनसिंह पिता तीजनसिंह वल्के जाति गोण्ड, उम्र 21 वर्ष,
 - 2.कस्तुराबाई पति स्व.ब्रजलाल वल्के, जाति गोण्ड, उम्र 35 वर्ष
- दोनों निवासी सीताडोंगरी थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — —आरोपीगण

- 3.संतराम पिता राही धुर्वे जाति गोण्ड, उम्र 25 वर्ष, (फरार)
 - 4.सदनसिंह पिता कमलसिंह मर्सकोले जाति गोण्ड, उम्र 30 वर्ष, (फरार)
- दोनों निवासी सीताडोंगरी थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

// निर्णय //

(आज दिनांक 14 / 06 / 2018 को घोषित)

01— उपरोक्त नामांकित अभियुक्तगण लिक्खनसिंह तथा कस्तुराबाई पर दिनांक 23.04.2012 को रात्रि के 08:00 बजे स्थान ग्राम सीताडोंगरी थाना बैहर अंतर्गत सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर जुलाबसिंह मसराम को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उस सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी जुलाबसिंह मसराम को लकड़ी एवं हाथ-मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने, फरियादी जुलाबसिंह मसराम को पकड़ कर घर में ले जाकर सदोष परिरोध करने, फरियादी जुलाबसिंह मसराम को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित करने, इस प्रकार धारा—323 / 34, 342, 506 भाग—दो भा.द.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने का आरोप है।

02— प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है।

03— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है कि फरियादी

जुलाबसिंह मसराम घटना दिनांक 23.04.12 को रात्रि 20:00 बजे घर में परिवार सहित सोया था, उसी समय उसके घर पर आरोपीगण लिखन, संतराम, सदन, कस्तुराबाई आये और बोले कि वह जादूखोर है, सगूनाबाई को जादू किया है, ऐसा कहकर फरियादी तथा उसकी पत्नि गलियारो बाई एवं दोनों बच्ची बुधियारो और सुधियारोबाई को उनके घर से जुगसिंह के शादी वाले घर में ले गए और कहने लगे कि फरियादी ने सगूनाबाई को जादू किया है। फरियादी के मना करने पर संतराम गोंड के कहने पर आरोपी लिखन ने फरियादी से लकड़ी से सिर के बीच में मारा, जिससे फरियादी को चोट लगी और खून निकलने लगा और अन्य आरोपीगण ने भी फरियादी के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की। आरोपीगण ने फरियादी एवं उसके दोनों बच्चियों और उसकी पत्नि को जुगसिंह तैकाम के घर के अंदर परछी पर रात भर रोककर रखे। आरोपीगण ने यह भी कहा कि जब-तक सगूनाबाई को सुधारेगा नहीं तब-तक जाने नहीं देगे और जान से खत्म कर देने की धमकी दिये। घटना के उपरांत परिवादी ने थाना बैहर में घटना की रिपोर्ट की, जिससे अपराध क्रमांक 61/12 धारा-323/34 342, 506 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराया गया। घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 31/12 तैयार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया।

04— आरोपीगण ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा-313 द0प्र0स0 में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में कथन किया है कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फसाया गया है। आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 23.04.2012 को रात्रि के 08:00 बजे स्थान ग्राम

सीताडोंगरी थाना बैहर अंतर्गत सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर जुलावसिंह मसराम को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उस सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी जुलावसिंह मसराम को लकड़ी एवं हाथ-मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी जुलावसिंह मसराम को पकड़ कर घर में ले जाकर मारपीट कर सदोष परिरोध कारित किया ?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी जुलावसिंह मसराम को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

सकारण निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

06— साक्षी जुलावसिंह अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। वह अपने घर के झाला में परिवार सहित सोया था, उसी समय आरोपी लिखन गोंड, सदन गोंड और कस्तुराबाई आये और कहने लगे कि तू जादूखोर है, सगुनाबाई को जादू किया है तथा जादूटोना करता है और जुगसिंह के यहाँ शादी हो रही है कहकर उसे और उसकी दोनों लड़की सुधियारो तथा गलियारोबाई को उठाकर ले गये और उससे कहने लगे कि तू सगुनबाई को सुधार जब उसने कहा कि उसने जादूटोना नहीं किया है। संतराम गोंड ने कहा कि इसको मारो तब यह बतायेगा, तब लिखनसिंह गोंड ने लकड़ी से उसके सिर पर मारा, जिससे खून निकल रहा था। उसके साथी सदन गोंड और कस्तुराबाई ने भी मारपीट किये। झगड़े में बीच-बचाव करने उसकी लड़की बुधियारो एवं गलियारोबाई आई तो उन्हें भी आरोपीगण धक्का-मुक्की करने लगे। घटना के उपरांत थाना बैहर में प्र.पी.01 की रिपोर्ट की थी। पुलिस ने उसका बयान लेखबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि

अंधेरा होने के कारण किसने लकड़ी मारी थी, उसने नहीं देखा था। स्वतः बताया है कि लिखन ने मारा था। यह स्वीकार किया है कि घटना के पहले आरोपीगण से बातचीत नहीं होती थी, जमीन का विवाद था, किन्तु इससे इंकार किया है कि उक्त विवाद के कारण उसने आरोपीगण के विरुद्ध जादू-टोना की बात को लेकर झूठी रिपोर्ट किया था। इस प्रकार इस साक्षी के कथन में तात्त्विक विरोधाभास एवं लोप नहीं है।

07— साक्षी सुधियारोबाई अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। प्रार्थी जुलापसिंह उसके पिता है। घटना दो साल पूर्व 8:00 बजे की रात्रि उसके घर की है। रात्रि 8:00 बजे आरोपीगण लिखनसिंह, सदन गोंड और कस्तुराबाई आये और उसे, उसके पिता, माँ गलियारोबाई और उसकी बहन बुधियारोबाई को जुकसिंह के यहाँ शादी में ले गये थे। आरोपीगण कह रहे थे कि उसके पिता ने उसकी लड़की के साथ जादू-टोना किया है। आरोपी लिखनसिंह ने लकड़ी से उसके पिता के साथ मारपीट किया था, जिससे उसके पिता को चोट लगी थी। आरोपी संतराम सदनसिंह और कस्तुराबाई ने भी उन सभी के साथ मारपीट किये थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। घटना गांव के लोगों ने देखे-सुने है। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि घटना के पूर्व से उनका विवाद आरोपीगण से था तथा इससे भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। इस प्रकार इस साक्षी के कथन में कोई तात्त्विक विरोधाभास एवं लोप नहीं है।

08— साक्षी गलियारो अ.सा.04 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। प्रार्थी जुलाबसिंह उसका पति है। घटना लगभग दो-तीन साल पूर्व की है। वे लोग रात में खाना खाकर सो गये थे। आरोपीगण रात्रि में उनके घर पर आये और उसके पति जुलाबसिंह तथा उसे व उसकी लड़की सुधियारो, बुधियारो को लेकर जुकसिंह के यहाँ शादी में ले गये थे। आरोपीगण ने जादूटोना करते हो कहकर उसके पति जुलाबसिंह को लकड़ी से मारपीट किये थे, जिससे उसके सिर पर चोट लगी थी। उसे हाथ-मुकों से मारपीट किये थे

एवं उसकी लड़कियों के साथ भी मारपीट किये थे। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान घटना के संबंध में बयान दिया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने इससे इंकार किया है कि सगुनाबाई को अस्पताल ले जाना है कहकर उन्हें बुलाने आये थे। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उनके घर पर मारपीट नहीं की थी। स्वतः बताया है कि उन्हें पकड़कर ले गये थे। प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि आरोपी लिक्खन ने उसके पति को मारा था तथा इससे इंकार किया है कि आरोपीगण ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। इस प्रकार इस साक्षी ने भी मारपीट की पुष्टि की है।

09— साक्षी बुधियारोबाई अ.सा.07 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। वह आहत जुलाबसिंह को जानती है। घटना दिनांक 23.04.2012 को रात्रि के नौ-दस बजे उसके घर की है। आरोपीगण उसके घर आये थे और बोले कि उन लोगों ने जादू किया है आरोपीगण उक्त बात को लेकर उसके पिता जुलाबसिंह, उसे और उसकी माँ के साथ मारपीट किये थे, उसने बीच-बचाव किया तो उसे और उसकी बहन को भी आरोपीगण ने मारपीट किये थे और उन्हें आरोपीगण ने जुगसिंह के घर खींचतान कर ले गये थे। आरोपी लिक्खन ने उसके पिता के सिर पर लकड़ी से मारा था, जिससे उसके पिता के सिर में चोट आई थी। पुलिस ने उसका बयान लेखबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने इससे इंकार किया है कि जुगसिंह के घर विवाह था, इसलिये जुगसिंह ने लिक्खन को उनके घर भेजा था तथा इससे भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। इस प्रकार इस साक्षी ने भी मारपीट की घटना की पुष्टि की है।

10— साक्षी अजाबसिंह अ.सा.05 ने बताया है कि वह आरोपीगण तथा प्रार्थी एवं उसके परिवार के लोगों को जानता है। घटना वर्ष 2012 के रात्रि की है। आरोपीगण ने प्रार्थी जुलाबसिंह एवं उसके पूरे परिवार में गलियारोबाई और उसके दोनों लड़कियाँ सुधियारो एवं बुधियारो को शादी वाले घर जुगसिंह के यहाँ लेकर गये थे। उसने पुलिस को आरोपीगण द्वारा प्रार्थी के परिवार वालों

को ले जाने वाली बात बताया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को जुलापसिंह के घर हल्ला होने की आवाज आने पर वह गया तो उसने देखा कि आरोपी लिखन, संतराम, सदन एवं कस्तुराबाई जादूटोना की बात को लेकर प्रार्थी जुलापसिंह व उसकी पत्नि गलियारोबाई तथा बच्ची सुधियारो एवं बुधियारो को लेकर जुकसिंह के घर गये थे। यह भी बताया है कि प्रार्थी जुलाबसिंह के सिर पर चोट लगी थी, आरोपी लिखन ने उसे लकड़ी से मारपीट किया था, आरोपी संतलाल, सदन एवं कस्तुराबाई ने गलियारोबाई एवं उनकी लड़कियों के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट किये थे, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्र.पी.08 का बयान दिया था तथा वह आरोपीगण से मिल गया है, इसलिये सही बात नहीं बता रहा है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए तथा मारपीट करते हुए नहीं देखा है। इस प्रकार यह साक्षी घटना का अनुश्रुत साक्षी है, जिससे इस साक्षी का कथन पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है।

11— साक्षी सम्मलसिंह अ.सा.09 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना करीब तीन वर्ष पूर्व रात के समय ग्राम सीताडोंगरी की है। घटना के समय आरोपीगण और फरियादी जुलाब का झगड़ा हुआ था। घटना के समय वह जबलपुर से रात्रि करीब 10:00 बजे घर लौटा, तब-तक झगड़ा शांत हो गया था। इसके अलावा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को उसने उक्त बात बता दी थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इससे इंकार किया है कि आरोपीगण ने जुलाबसिंह को लकड़ी एवं हाथ-मुक्कों से मारपीट किया था तथा प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

12— नरेन्द्र अ.सा.10 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना करीब तीन वर्ष पूर्व रात के समय ग्राम सीताडोंगरी की है। घटना के

समय आरोपीगण और फरियादी जुलाब का झगड़ा हुआ था। घटना के समय वह जबलपुर से रात्रि करीब 10:00 बजे घर लौटा, तब-तक झगड़ा शांत हो गया था। इसके अलावा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को उसने उक्त बात बता दी थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इससे इंकार किया है कि आरोपीगण ने जुलाबसिंह को लकड़ी एवं हाथ-मुक्कों से मारपीट किया था तथा प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

13— जुलाबसिंह अ.सा.01 ने बताया है कि आरोपी लिक्खन के मारने से उसे चोट थी तथा उसके सिर से खून निकल रहा था। सुधियारो अ.सा.02, गलियारो अ.सा.04 और बुधियारो अ.सा.07 ने भी जुलाब के सिर में चोट आना बताया है। उक्त चोटों की पुष्टि करते हुए डॉ० एन०एस० कुमरे अ.सा.06 ने बताया है कि उसने दिनांक 24.04.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में थाना बैहर के आरक्षक भानू नम्बर 1117 द्वारा आहत जुलाबसिंह को लाये जाने पर उसका चिकित्सीय परीक्षण किया था। आहत को मात्र एक चोट लेसरेटेड वुंड तीन चौथाई गुणा एक चौथाई इंच लिये, ट्रासवर्स मांसपेशी तक गहराई भूरापन लिये सूखा हुआ रक्त जमा हुआ पाया था, जो कि सिर के मध्य भाग पर मौजूद था। चोट साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से उसके जांच के बीस घण्टे के अंदर की थी। आहत द्वारा भर्ती होने से इंकार किया गया। उसके द्वारा दिया गया मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी०९ है। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि चोट कड़े एवं बोथरे वस्तु पर गिरने से आ सकती है। आहत जुलाब को इस संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि बोथरी व कड़ी सतह पर गिरने से उक्त चोट आई थी। इस प्रकार चिकित्सक को दिये गये सुझाव से भी बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होता है तथा आहत की चोट मारपीट से ही आना साक्षियों के कथन से भी प्रकट है।

14— साक्षी इंजनसिंह अ.सा.03 ने बताया है कि वह थाना बैहर में दिनांक 24.07.2012 को प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसी दिनांक को अपराध क्रमांक 61/12 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर प्रार्थी गुलाबसिंह मसराम की निशादेही पर मौका-नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था। उसी दिनांक को प्रार्थी गुलाबसिंह, गलियारोबाई, बुधियारोबाई, कुमारी सुधियारोबाई, अजाबसिंह, दयाराम, नरेन्द्र कुमार, समलसिंह एवं दिनांक 30.04.2012 को देवसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 30.04.2012 को आरोपी लिखनसिंह से एक लकड़ी गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.03 तैयार किया था। यद्यपि जप्ती के साक्षी मोहन अ.सा.08 ने आरोपीगण से कोई सामान जप्त नहीं होना बताया है। विवेचक इंजन सिंह अ.सा.03 ने बताया है कि दिनांक 30.04.2012 को आरोपी लिखनसिंह, संतराम धुर्वे, सदनसिंह एवं कस्तुराबाई को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र. पी.04 लगायत प्र.पी.07 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने साक्षियों का कथन अपने मन से लेखबद्ध कर लिया था। इससे भी इंकार किया है कि आरोपीगण को फंसाने के लिये झूठी विवेचना किया है। इस प्रकार विवेचक के प्रतिपरीक्षण के कथन में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त होता है।

15— इस प्रकार फरियादी जुलाबसिंह ने आरोपीगण द्वारा मारपीट करने की बात बताया है। साक्षी सुधियारो अ.सा.02, गलियारो अ.सा.04 एवं बुधियारो अ.सा.07 ने भी आरोपीगण द्वारा जुलाब के साथ मारपीट की घटना की पुष्टि की है। आहत जुलाबसिंह ने मारपीट से सिर में चोट आना बताया है। आहत जुलाबसिंह की चोट का समर्थन डॉ० एन.एस. कुमारे अ.सा.06 के कथन एवं मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.—09 से होता है। साक्षीगण के कथन में कोई तात्विक विरोधाभास एवं लोप नहीं है। साक्षियों सुधियारो, गलियारो एवं बुधियारो ने बीच-बचाव के दौरान उनके साथ भी धक्का-मुक्की एवं मारपीट होना बताया है, किन्तु उनको कहां चोटें आई थी साक्षियों ने नहीं बताया है और ना ही उक्त

साक्षियों का कोई मेडिकल परीक्षण भी विवेचना के दौरान कराया गया है, जिससे उक्त साक्षियों द्वारा स्वयं के साथ मारपीट की बात प्रमाणित नहीं है, किन्तु उपरोक्त परिस्थितियों में आरोपीगण द्वारा फरियादी जुलाबसिंह के साथ लकड़ी एवं हाथ-मुक्कों से मारपीट की घटना प्रमाणित पाया जाता है, जहाँ अभियोजन के मामले का समर्थन चिकित्सक साक्षी के कथनों से होता है। आहत एवं साक्षीगण के कथन में कोई दुर्बलता न हो वहाँ भी अभियोजन का मामला प्रमाणित पाया जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत भावला बनाम स्टेट ऑफ़ एम.पी., 2005(2) जे.एल.जे. 403 अवलोकनीय है।

16— अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या आरोपीगण द्वारा फरियादी जुलाबसिंह को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया गया था। आहत जुलाबसिंह के कथन से अथवा बचाव में ऐसा भी कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के वशीभूत होते हुए अथवा प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में आरोपीगण ने फरियादी से मारपीट की थी। फलतः आरोपीगण द्वारा की गई घटना भी स्वेच्छया किया जाना प्रमाणित होता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-02

17— जुलाबसिंह अ.सा.01 ने बताया है कि आरोपीगण उन्हें रात भर जुगसिंह के यहाँ परछी में बंद करके रखे थे। सुबह गांव के पटेल देवसिंह, कोटवार दयाराम तथा गांव के लोग जुगसिंह के घर आये और उसे छुड़ाये। सुधियारो अ.सा.02 ने बताया है कि उन्हें रात में जुगसिंह के घर में बंद करके रखे और बाहर नहीं आने दिये। सुबह देवसिंह एवं कोटवार दयाराम ने उन्हें छुड़ाया था, जबकि जुलाबसिंह की पत्नि गलियारो अ.सा.04 ने उन्हें बंद करके रखे जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। बुधियारो अ.सा.07 ने बताया है कि आरोपीगण उन्हें जुगसिंह के यहाँ लेकर गये थे जहाँ उन्हें रोक कर रखे थे, किन्तु किसी कमरे में बंद कर दिया हो या उन्हें आने-जाने से वंचित कर दिया हो ऐसा नहीं बताया है तथा यह भी बताया है कि गांव के पटेल ने छुड़ाया था।

18— धारा-340 भा.द.वि. में सदोष परिरोध की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से जाने से निवारित कर दे वह उस व्यक्ति को सदोष परिरोध करता है यह कहा जाता है। जुलाबसिंह अ.सा.01 ने बताया है कि उसे रात भर जुगसिंह के घर परछी में बंद करके रखे थे तथा प्रतिपरीक्षण में भी बताया है कि उन्हें बंद करके रखे थे। सुधियारो अ.सा.02 ने भी बताया है कि वे लोग जुगसिंह के घर रात भर बंद रहे। गलियारो अ.सा.04 ने स्वयं को बंद करके रखने के बारे में नहीं बताया है तथा बुधियारो ने भी यह स्पष्ट नहीं बताया है कि उसे भी बंद करके रखे थे, किन्तु यह बताया है कि आरोपीगण जुगसिंह के घर में रोक कर रखे थे, जुलाबसिंह के अलावा अन्य साक्षियों को सदोष परिरोध के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। फलतः आरोपीगण द्वारा आहत जुलाबसिंह को सदोष परिरोध करने की घटना प्रमाणित होता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक—03

19— जुलाबसिंह अ.सा.01 ने बताया है कि आरोपीगण ने सगुनाबाई को नहीं सुधारने पर उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। साक्षी सुधियारो अ.सा.02, बुधियारो अ.सा.07 ने बताये हैं कि आरोपीगण उसके पिता जुलाबसिंह को कह रहे थे कि सगुनाबाई को ठीक नहीं करनेपर जान से मारने देंगे। फरियादी जुलाबसिंह अ.सा.01 और सुधियारो अ.सा.02, बुधियारो अ.सा.07 ने यह नहीं बताये हैं कि वे आरोपीगण की धमकी को सुनकर भयभीत हो गये थे या उन्हें जान का भय पैदा हो गया था। फरियादी जुलाबसिंह एवं उक्त साक्षियों ने यह भी नहीं बताये हैं कि आरोपीगण ने घटना पश्चात् अपनी धमकी को कार्यरूप में परिणित करने के लिए कोई कार्य किया था, जिससे आरोपीगण का धमकी निष्पादित करने का सुदृढ़ निश्चय व्यक्त नहीं होता है। फलतः घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी जुलाबसिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित

करने की घटना का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत शरद दवे विरुद्ध महेश गुप्ता विधि भास्वर 2005 (2) पेज नं.152 अवलोकनीय है।

20— उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण लिखनसिंह एवं कस्तुराबाई ने दिनांक 23.04.2012 को रात्रि के 08:00 बजे स्थान ग्राम सीताडोंगरी थाना बैहर अंतर्गत फरियादी जुलावसिंह मसराम को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः आरोपीगण लिखनसिंह एवं कस्तुराबाई को धारा 506 (भाग-2) भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है, किन्तु अभियोजन संदेह से प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण लिखनसिंह एवं कस्तुराबाई ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर जुलाबसिंह मसराम को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उस सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी जुलाबसिंह मसराम को लकड़ी एवं हाथ-मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया, फरियादी जुलावसिंह मसराम को पकड़ कर जुगसिंह के घर में ले जाकर सदोष परिरोध कारित किया। फलतः आरोपीगण लिखनसिंह एवं कस्तुराबाई को धारा-323/34, 342 भा.दं.वि. के आरोपों में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण लिखनसिंह एवं कस्तुराबाई को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा रहा है। फलतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

पुनःश्च—

21— दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। प्रथम अपराध है। प्रकरण वर्ष 2012 से लंबित है तथा लगभग प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर आरोपीगण उपस्थित होते रहे हैं। फलतः दण्ड के प्रति नरम रुख अपनाये जाने का निवेदन किया है। आरोपीगण/आवेदकगण को दण्ड के प्रश्न पर सुनने एवं प्रकरण के अवलोकन से भी प्रकट है कि प्रकरण वर्ष 2012 से लंबित है। आरोपीगण भी प्रायः प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर उपस्थित होते रहे हैं। आहत को आई चोट साधारण प्रकृति की है। आरोपीगण द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वे गोंड जनजाति के व्यक्ति होकर मजदूरी एवं वन उपज से जीवन-यापन करते हैं। जेल की सजा दिये जाने से उनके परिवार के भरण-पोषण की कठिन समस्या हो जायेगी। आरोपीगण के पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में भी कोई अभिलेख नहीं है। फलतः अपराध की प्रकृति एवं उक्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपीगण को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाता है:—

क.	आरोपी का नाम	धारा	जेल की सजा	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम में सजा
01	लिखनसिंह पिता तीजनसिंह वल्के जाति गोण्ड, उम्र 21 वर्ष,	323 / 34 भा.द.वि.	न्यायालय अवधि अवसान तक कारावास	1000 /— रुपये	15 दिवस का साधारण कारावास
02	लिखनसिंह पिता तीजनसिंह वल्के जाति गोण्ड, उम्र 21 वर्ष,	342 भा.द.वि.	न्यायालय अवधि अवसान तक कारावास	500 /— रुपये	15 दिवस का साधारण कारावास
03	कस्तुराबाई पति स्व.ब्रजलाल वल्के, जाति गोण्ड, उम्र 35 वर्ष	323 / 34 भा.द.वि.	न्यायालय अवधि अवसान तक कारावास	1000 /— रुपये	15 दिवस का साधारण कारावास
04	कस्तुराबाई पति स्व.ब्रजलाल वल्के, जाति गोण्ड, उम्र 35 वर्ष	342 भा.द.वि.	न्यायालय अवधि अवसान तक कारावास	500 /— रुपये	15 दिवस का साधारण कारावास

22— आरोपीगण लिखनसिंह एवं कस्तुराबाई के बंधपत्र एवं प्रतिभूति

पत्र निरस्त किया जाता है। आरोपीगण जमानत पर है।

23— आरोपीगण जिस कालावधि के लिए जेल में रहे हो उस विषय में एक विवरण धारा-428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपीगण की पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

25— आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड अदा कर दिये जाने पर अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि 3,000/-रुपये (अंकन में तीन हजार रुपये) आहत जुलाबसिंह पिता अमरसिंह मसराम उम्र-46 साल, जाति गोंड, निवासी ग्राम सीताडोंगरी थाना बैहर जिला बालाघाट को अपील अवधि पश्चात अपील न होने पर दिया जावे।

26— प्रकरण में आरोपी सन्तराम तथा सदनसिंह फरार होने से जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण नहीं किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही/-
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही/-
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)